न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 10/2019 तारीख रजू:– 01.02.2019

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. शीला देवी पत्नि रामेश्वर | जाति जाट, निवासी बरगमा, तह. हिण्डौन
2. चन्द्रवती पत्नी श्यामलाल | जिला करौली राजस्थान। ————सायलान

बनाम

1. श्यामसिंह | पिसरान झण्डूराम
2. बदनसिंह | समस्त जाति जाट, निवासी पाली
3. मुकेश | तहसील हिण्डौन, जिला करौली।
4. तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली ———————— गैरसायलान

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री कमेन्द्र चतुर्वेदी एडवोकेट सायलान

2. श्री लखनलाल गोयल एडवोकेट गैरसायल सं01ता 3

निर्णय

दिनांक :–27.10.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि प्रार्थीगण सायलान ने अप्रार्थी गैरसायल के खिलाफ माननीय न्यायालय में वाद दायर किया है। जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी पूरी सम्भावना है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि आराजी ख०नं0 649/0.06, 650/0.15, 651/0.20, 786/0.44, 792/0.09, 793/0.09, 794/0.26 कुल किता 7 कुल रकबा 1.29 है0 ग्राम पाली, तह हिण्डौन सिटी, जिला करौली में स्थित है। जिसमें सायला नं० 1 बहिस्सा 1/4, सायला नं0 2 बहिस्सा 1/4 तथा गैरसायल नं० 1, 2, 3 प्रत्येक बहिस्सा 1/6 के खातेदार काश्तकार है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि आराजी ख०नं० 1028 रकबा 0.50 है0 ग्राम पाली, तह. हिण्डौन जिला करौली में स्थित है। इसमें सायला नं० 1 बहिस्सा 2/25 तथा सायला नं0 2 बहिस्सा 2/25 की तथा गैरसायल नं० 1, 2, 3 प्रत्येक 2/75 तथा दावे के प्रतिवादी नं० 4 बहिस्सा 17/25 तथा दावे के प्रतिवादी नं0 5, 6 प्रत्येक 1/25 के खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि आराजी ख०नं० 1013 रकबा 0.25 है0 ग्राम पाली, तह. हिण्डौन में स्थित है। इसमें सायला नं० 1 बहिस्सा 1/8, सायला नं0 2 बहिस्सा 1/8 तथा गैरसायल नं० 1, 2, 3 प्रत्येक बहिस्सा 1/4 तथा दावे के प्रतिवादी नं0 7 बहिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि आराजी ख०नं० 773 रकबा 0. 90है0 ग्राम पाली, तह० हिण्डौन में स्थित है। इसमें सायलाया नं० 1 बहिस्सा 23/ 1080 तथा सायला नं० 2 बहिस्सा 23/1080 के खातेदार काश्तकार है तथा शेष हिस्से के खातेदार अन्य सहखातेदारान अपनी खातेदारी व हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि आराजी ख०नं० 318/0.61, 319/0.43, 320/0.39, 326 /0.25, 328/ 0.33 कुल किता 5 कुल रकबा 2.01है0 ग्राम पाली, तह. हिण्डौन में स्थित है। जिसमें सायला नं० 1 बहिस्सा 1/8 सायला नं0 2 बहिस्सा 1/8 के खातेदार काश्तकार है। शेष हिस्से के खातेदार अन्य सहखातेदारान अपनी खातेदारी व हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि आराजी ख०नं० 715/0.09, 783/0.20, 784/0.16, 785/0.01 कुल किता 4 कुल रकबा 0.46है0 ग्राम पाली, तह० हिण्डौन में स्थित है। सायला नं. 1 बहिस्सा 1/12 तथा सायला नं0 2 बहिस्सा 1/12 के खातेदार काश्तकार है। शेष हिस्स के अन्य सहखातेदारान अपनी हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 8 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिका मद नं0 2 ता 7 प्रार्थना पत्र सायलान द्वारा पूर्व की खातेदार प्रेमवती पुत्री किरोड़ी से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है तथा सायलान द्वारा अपने हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद कर सम्पूर्ण विक्रय राशि देकर उक्त आराजी के हिस्से पर जहाँ पर्व में खातेदार काबिज थी वहाँ काबिज हो गये है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 9 में दर्ज किया है कि गैरसायल नं० 1 ता 3 लठैत मुठमर्द तथा गिरोहबंध व्यक्ति है। जो सायलान द्वारा खरीद शुदा आराजी को ओने पोने दामों

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

में खरीदना चाहते थे। उक्त आराजी को पूर्व खातेदारान द्वारा गैरसायल नं० 1 ता 3 को नहीं बेचकर सायला को बेचान कर दी। जिससे गैरसायल नं० 1 ता 3 सायला से रंजिश रखने लगे तथा सायला के कब्जे काश्त आराजी में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास करने लगे।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 10 में दर्ज किया है कि खातेदारी गुलकन्दी, जगदीश, मानसिंह, श्रीराम व हरज्ञान फौत हो चुके है। गुलकन्दी के वारिसान दावे के प्रतिवादी नं0 8 ता 16 है। जो उसकी एक पुत्री है। गुलकंदी, दलगंजी की पत्नी थी। जगदीश लाऔलाद फौत हुआ है। उसके वारिसान दावे के प्रतिवादी नं0 8 ता 16 तथा 36 है। भालसिंह पुत्र रामहंस फौत हो चुका है। उसके वारिसान दावे के प्रतिवादी नं0 30 ता 34 जो उसके पुत्र पुत्री है। हरज्ञान फौत हो चुका है। जिसके वारिसान दावे के प्रतिवादी नं0 38 ता 42 है। जो उसके पुत्र तथा पत्नि है। श्रीराम लाऔलाद फौत हो चुका है। उसके वारिसान दावे के प्रतिवादी नं0 8 ता 45 है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 11 में दर्ज किया है कि बाका दिनांक 15.01.2019 को सुबह करीब 9 बजे का है कि सायला अपनी आराजी में खड़ी फसल की देखभाल कर रही थी कि गैरसायल नं० 1 ता 3 आये और कहने लगे कि तुमने इस जमीन को क्यों खरीदा हम खरीदते तुम जमीन को छोड़ दो इस पर सायला द्वारा गैरसायलान को समझाया कि उक्त आराजी हमने पैसे देकर खरीदी है। तुम खरीद लेते, तुम्हें किसने रोका था। तुम्हे परेशानी है तो तहसील में चलकर बंटवारा करा लेते है। इतना सुनते ही गैरसायल नं० 1 ता 3 नाराज हो गये तथा कहने लगे कि हम कही नही जायेंगे और ना ही बंटवारा करायेगे। तथा तुम्हे आराजी को काश्त नहीं करने देंगे तथा तुमने जो फसल काश्त की है। उसे हम दरोह करेंगे तथा आराजी पर कब्जा करेगे इस प्रकार गैरसायलान अपनी इस गैरकानूनी कुचेष्ठा में कामयाब हो गये तो सायला को अपूर्णनीय क्षति हो जावेगी। जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार इन टर्मस ऑफ मनी भी पूरी नहीं हो सकेगी।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 12 में दर्ज किया है कि प्राईमा फेसी केश सायलान के पक्ष में है। सुविधा का सन्तुलन सायला के पक्ष में है। अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायल को कोई क्षति नहीं है। जबकि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से सायलान को अपूर्णनीय क्षति हो जावेगी।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि गैरसायल को ताफैसला दावा इस अम्र से पाबन्द फरमाया जावे कि वे आराजी ख०नं0 649/0.06, 650/0.15, 651/0.20, 786/0.44, 792 /0.09, 793/ 0.09, 794 / 0.26 794 / 0.26 कुल

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

किता 7 कुल रकबा 1.29 है0, ग्राम पाली तहत हिण्डौन सायला नं० 1 बहिस्सा 1/4, सायला नं0 2 बहिस्सा 1/4 ख०नं० 1028 रकबा 0.50है0 ग्राम पाली तह. हिण्डौन सायलागण नं० 1 बहिस्सा 2/25 तथा सायला नं0 2 बहिस्सा 2/25, तथा ख०नं० 1013 रकबा 0. 25है0 ग्राम पाली, तह. हिण्डौन में स्थित है। इसमें सायला नं० 1 बहिस्सा 1/8, सायला नं० 2 बहिस्सा 1/8 तथा ख०नं० 773 रकबा 0.90है0 ग्राम पाली, तह हिण्डौन में स्थित है। इसमें सायला नं० 1 बहिस्सा 23/1080 तथा सायला नं0 2 बहिस्सा 23 / 1080 तथा ख०नं० 318/ 0.61, 319/0.43, 320/0.39, 326/0. 25, 328/0.33 कुल किता 5 कुल रकबा 2.01है0 ग्राम पाली, तह. हिण्डौन में स्थित है। जिसमें सायला नं० 1 बहिस्सा 1/8 सायला नं0 2 बहिस्सा 1/8 तथा ख०नं० 715/0.09, 783/0.20, 784/0.16, 785/0.01 कुल किता 4 कुल रकबा 0.46है0 ग्राम पाली, तह0 हिण्डौन में स्थित है। सायला बहिस्सा 1/12 तथा सायला नं0 2 बहिस्सा 1/12 ग्राम पाली तह. हिण्डौन सायला के हिंस्से व कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत नही करे, सायला को बेदखल नहीं करे, आराजी को नाकाबिज काश्त नहीं बनावे, ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे, जिससे हकूक सायला पर विपरीत प्रभाव पड़े, मौके व रिर्कार्ड की स्थिति यथावत् बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 20.10.2020 को गैरसायल सं01 ता 3 बाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। जबाव प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु कई अबसर दिये जाने के उपरान्त भी जबाव प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया। दिनांक 04.04.2022 को गैरसायल सं04 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2070–73 किता 6 पेश की हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने दौराने बहस अवगत कराया कि गैरसायलान उक्त विवादित आराजी के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं और रिकोर्डेड सहखातेदार का संयुक्त खातेदारी की भूमि के प्रत्येक इंच भू–भाग पर कब्जा काश्त माना जाता है जब तक कि उन सहखातेदारों के मध्य विधिवत रूप से बंटवारा होकर पृथक पृथक खाता व लगान कायम नहीं हो जाता है। इसलिए सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2070–73 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 649 रकबा 0.06 है0, 650 रकबा 0.15 है0, 651 रकबा 0.20 है0, 786 रकबा 0.44 है0, 792 रकबा 0.09 है0, 793 रकबा 0.09 है0, 794 रकबा 0.26 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.29 है0 वाके ग्राम पाली तहसील हिण्डौन में सायलान हिस्सा 1/2 की सहखातेदार काश्तकार है तथा 1/2 हिस्से के गैरसायल सं01 ता 3 सहखातेदार काश्तकार है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2070–73 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1028 रकबा 0.50 है0 वाके ग्राम पाली तहसील हिण्डौन में सायलान हिस्सा 4/25 की सहखातेदार काश्तकार है तथा शेष हिस्से के गैरसायल सं01 ता 3 व अन्य मुताविक राजस्व रिकार्ड सहखातेदार काश्तकार है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2070–73 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1013 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम पाली तहसील हिण्डौन में सायलान हिस्सा 1/4 की सहखातेदार काश्तकार है तथा शेष हिस्से के गैरसायल सं01 ता 3 व अन्य मुताविक राजस्व रिकार्ड सहखातेदार काश्तकार है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2070–73 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 773 रकबा 0.90 है0 वाके ग्राम पाली तहसील हिण्डौन में सायलान हिस्सा 46/1080 की सहखातेदार काश्तकार है तथा शेष हिस्से के गैरसायल सं01 ता 3 व अन्य मुताविक राजस्व रिकार्ड सहखातेदार काश्तकार है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2070–73 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 318 रकबा 0.61 है0, 319 रकबा 0.43 है0, 320 रकबा 0.39 है0, 326 रकबा 0.25 है0, 328 रकबा 0.33 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.01 है0 वाके ग्राम पाली तहसील हिण्डौन में सायलान हिस्सा 1/4 की सहखातेदार काश्तकार है तथा शेष हिस्से के गैरसायल सं01 ता 3 व अन्य मुताविक राजस्व रिकार्ड सहखातेदार काश्तकार है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2070–73 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 715 रकबा 0.09 है0, 783 रकबा 0.20 है0, 784 रकबा 0.16 है0, 785 रकबा 0.01 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.46 है0 वाके ग्राम पाली तहसील हिण्डौन में सायलान हिस्सा 1/6 की सहखातेदार काश्तकार है तथा शेष हिस्से के गैरसायल सं01 ता 3 व अन्य मुताविक राजस्व रिकार्ड सहखातेदार काश्तकार है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 649 रकबा 0.06 है0, 650 रकबा 0.15 है0, 651 रकबा 0.20 है0, 786 रकबा 0.44

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

है0, 792 रकबा 0.09 है0, 793 रकबा 0.09 है0, 794 रकबा 0.26 है0, 1028 रकबा 0.50 है0, 1013 रकबा 0.25 है0, 773 रकबा 0.90 है0, 318 रकबा 0.61 है0, 319 रकबा 0.43 है0, 320 रकबा 0.39 है0, 326 रकबा 0.25 है0, 328 रकबा 0.33 है0, 715 रकबा 0.09 है0, 783 रकबा 0.20 है0, 784 रकबा 0.16 है0, 785 रकबा 0.01 है0 वाके ग्राम पाली तहसील हिण्डौन में सायलान मुताविक राजस्व रिकार्ड सहखातेदार काश्तकार है तथा शेष हिस्से के गैरसायल सं01 ता 3 व अन्य मुताविक राजस्व रिकार्ड सहखातेदार काश्तकार है। सायलान उक्त विवादित आराजीयात की रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार होने के कारण अपने हिस्से की आराजीयात के बाबत दावे के निर्णय तक गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की अधिकारी हैं। इस प्रकार सायल का प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी सायलान के पक्ष में साबित है। यदि गैरसायलान को दावे के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो सायलान के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है। पक्षकारान के अधिकार दावे में तय होने हैं। इसलिए दावे के निर्णय तक उक्त विवादित आराजीयात के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखना न्यायोचित प्रतीत होता है कि जिससे पक्षकारों के मध्य और आपसी विवाद व मुकदमेबाजी नहीं बढे। ऐसी स्थिति सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 649 रकबा 0.06 है0, 650 रकबा 0.15 है0, 651 रकबा 0.20 है0, 786 रकबा 0.44 है0, 792 रकबा 0.09 है0, 793 रकबा 0.09 है0, 794 रकबा 0.26 है0, 1028 रकबा 0.50 है0, 1013 रकबा 0.25 है0, 773 रकबा 0.90 है0, 318 रकबा 0.61 है0, 319 रकबा 0.43 है0, 320 रकबा 0.39 है0, 326 रकबा 0.25 है0, 328 रकबा 0.33 है0, 715 रकबा 0.09 है0, 783 रकबा 0.20 है0, 784 रकबा 0.16 है0, 785 रकबा 0.01 है0 वाके ग्राम पाली तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ में सायलान के हिस्से तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली